REQUEST FOR PROPOSAL
प्रस्ताव हेतु अनुरोध

E-Tender for Selection of Service Provider for Implementation, Operation,Maintenance & Management of SURFACE PARKING Location Developed by Municipal Corporation Bhopal.

नगर निगम भोपाल द्वारा विकसित सतही पार्किंग स्थल के क्रियान्वयन, संचालन, संधारण एवं प्रबंधन हेतु सेवा प्रदाता के चयन हेतु ईनिविदा

RFPNo: 2026_UAD_498587_1 **Dated:10/04/2026**

Commissioner
Municipal Corporation, Bhopal
2nd Floor, ISBT Head Office, Ambedkar Marg, Habibganj,
Bhopal – 462023 Phone: 0755-2701222, www.bmconline.gov.in

अनुक्रमणिका

INDEX

विवरण	पृ. क्र.
घोषणा (Disclaimer)	3
परिभाषाएँ (Definitions)	4
निविदा संबंधी समस्त शुल्क एवं तिथियों का विवरण	5
भाग-I निविदाकर्ता हेतु निर्देश	6
भाग-IIतकनीकी	8
भाग-IIIवित्तीय	9
भाग-IVई-निविदा	12
भाग-VLoA	13
भाग-VI वित्तीय गारंटी / बैंक गारंटी	14
भाग-VII प्रोजेक्ट क्रियान्वयन	15
भाग-VIII पार्किंग स्थल	17
भाग-IX विवाद की स्थिति	24
भाग-X विविध	25

घोषणा (Disclaimer)

यह Request for Proposal document ("RFP") नगर निगम भोपाल का दस्तावेज़ है जिसमें किसी भी व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा संशोधन अपराध माना जाएगा। यह RFP किसी प्रकार का अनुबंध नहीं है और न ही किसी आवेदक या व्यक्ति के लिए आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा कोई ऑफर या आमंत्रण है। इस RFP का उद्देश्य आमंत्रित की गई निविदा के संबंध में इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों/फर्म को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है।

इस RFP में दिए गए कथन आयुक्त नगर निगम भोपाल की मंशा अनुसार उल्लेखित प्रोजेक्ट के निर्माण, वित्त प्रबंधन, संचालन, संधारण एवं अंतरण (BOT) को इंगित करते हैं।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत संस्था/फर्म की चयन प्रक्रिया के दौरान एवं उसके पश्चात नगर निगम भोपाल, नगर निगम अधिकारी/कर्मचारी एवं सलाहकार इस RFP में उल्लेखित किसी भी जानकारी या जानकारी में त्रुटि (जैसे स्पष्टता, पर्याप्तता, सत्यता, विश्वसनीयता एवं संपूर्णता में कमी) के कारण किसी भी व्यक्ति/संस्था/फर्म को होने वाले किसी भी प्रकार की हानि, व्यय आदि के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

इस RFP के किसी भी कथन/अवयव की प्रकृति के कारण किसी भी आवेदक पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के लिए नगर निगम भोपाल उत्तरदायी नहीं होगा।

नगर निगम भोपाल इस RFP में निहित किसी भी जानकारी, आंकड़े या विचार को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

इस RFP को जारी करने का यह आशय कदापि नहीं है कि प्रोजेक्ट हेतु संस्था/फर्म का चयन किया ही जाए अथवा संस्था/फर्म को उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्राधिकार प्रदान किया जाए। नगर निगम भोपाल इसके लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है तथा नगर निगम भोपाल प्रोजेक्ट हेतु प्राप्त किसी या समस्त प्रस्तावों को बिना किसी कारण अस्वीकार कर सकता है।

परिभाषाएँ (Definitions)

1. "अनुबंध" से अभिप्रेत है, प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नगर निगम भोपाल एवं संस्था/सेवा प्रदाता के मध्य निष्पादित अनुबंध।
2. "संस्था/फर्म" से अभिप्रेत है, सफल निविदाकर्ता, जिसे नगर निगम भोपाल ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया है अथवा जिससे निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादित किया है।
3. "पार्किंग स्थल" से अभिप्रेत है,नगर निगम भोपाल द्वारा चिन्हित/निर्धारित/निर्मित स्थल जहां निर्धारित शुल्क पर वाहन पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
4. "अनुबंध अवधि" या "लायसेंस अवधि"से अभिप्रेत है, संस्था/फर्म को विज्ञापन करने के अधिकार प्रदान करने की अवधि।
5. "अभिस्वीकृति पत्र" या "LoA"से अभिप्रेत है, सफल निविदाकर्ता को नगर निगम भोपाल द्वारा RFP अनुसार निर्धारित शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादित करने हेतु दी गई सूचना।
6. "प्रोजेक्ट" से अभिप्रेत है,Selection of Service Provider for Implementation, Operation, Maintenance & Management of SURFACE PARKING Location Developed by Municipal Corporation Bhopal.
7. "प्रस्ताव हेतु अनुरोध" या "RFP"से अभिप्रेत है, निविदा दस्तावेज़।
8. "राजसात" से अभिप्रेत है, नगर निगम द्वारा जप्त किया जाना।
9. "मोराटोरियम अवधि"से अभिप्रेत है, वह संक्रमणकाल जिसमें संस्था द्वारा प्रोजेक्ट की आवश्यक तैयारी की जाएगी तथा उक्त अवधि में कोई शुल्क देय नहीं होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (Request For Proposal)

नगर पालिक निगम, भोपाल योग्य निविदाकर्ताओं से सतही पार्किंग स्थलको ठेके पर दिए जाने हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करता है।

निविदा संबंधी समस्त दस्तावेज़ ऑनलाइन टेंडर पोर्टल **WWW.MPTENDERS.GOV.IN** से निर्धारित ऑनलाइन शुल्क जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदा संबंधी समस्त शुल्क एवं तिथियों का विवरण निम्नानुसार है–

निविदा प्रपत्रका निर्धारित मूल्य (अप्रतिदेय)	**रु. 5900/-**
निक्षेप निधि राशि (EMD)	**रु. 4,725/- (न्यूनतम ऑफर राशि का 5%)**
न्यूनतम वार्षिक ऑफर राशि	**रु. 94,500/-**
निविदा जारी करने की तिथि व समय	**दिनांक 10/04/2026 प्रातः 10:30 बजे**
निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि व समय	**दिनांक 10/04/2026 प्रातः 11:00 बजे**
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	**दिनांक 30/04/2026 सायं 05 बजे**
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	**दिनांक 04/05/2026**
प्री-बिड बैठक की तिथि व समय	**दिनांक 16/04/2026 दोपहर 03 बजे**
प्री-बिड बैठक का स्थान	**उपायुक्त (पार्किंग) कक्ष, हर्षवर्धन कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर चौराहा, भोपाल (म.प्र.)**

नोट- निविदा में जारी किसी भी दस्तावेज़ या उसके भाग में कोई भी कांटछांट, परिवर्तन या विरूपण नहीं किया जाना चाहिए। यदि निविदा के किसी भी चरण में या उसके बाद यह ज्ञात होता है कि निविदाकर्ता द्वारा निविदा के दस्तावेजों या उसके किसी भी भाग या नियम एवं शर्तों में कोई कांटछांट परिवर्तन या विरूपण किया गया है तो नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा निविदाकर्ता को वर्तमान तथा भविष्य के सभी कार्यों के लिए प्रतिबंधित (Black List) कर दिया जाएगा।

नगर पालिक निगम, भोपाल

नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा **ANNEXE - B**अनुसार चिन्हित पार्किंग स्थलको एक (01) वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम ऑफसेट मूल्य से अधिक पर दिए जाने हेतु ऑनलाईन अधिकतम राशि के ऑफर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जा रहे हैं:-

भाग-I (निविदाकर्ता हेतु निर्देश)

1. निविदाकर्ता सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें।
2. निविदाकर्ता को निर्धारित तिथियों के भीतर WWW.MPTENDERS.GOV.IN वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा हेतु आवेदन करना होगा। निविदाकर्ता को निक्षेप निधि राशि (EMD) वेबसाइट WWW.MPTENDERS.GOV.IN पर नियमानुसार ऑनलाइन जमा करना होगी।
3. टेंडर फॉर्म ई-पोर्टल WWW.MPTENDERS.GOV.IN से निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
4. टेंडर हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन ही जमा किए जाएंगे। निविदाकर्ता सभी दस्तावेज़/विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। सम्पूर्ण टेंडर फॉर्म एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षमताओं से संबंधित दस्तावेज़ तथा नॉब्लेकलिस्ट सर्टिफिकेट, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन प्रमाणित कर जमा किए जाएँ। उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज़ जमा न किए जाने की स्थिति में निविदाकर्ता का ऑफर निरस्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदाकर्ता द्वारा ऑफलाइन दस्तावेज़ प्रेषित किए जाने पर निविदा हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
5. निविदा ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। ऑनलाइन निविदा जमा करने में होने वाले विलंब के लिए निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। ऑनलाइन निविदा सबमिट न करने पर ऑफलाइन भेजी गई निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकर्ता का पिछले **तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष का न्यूनतम 15 लाख रुपए** का टर्नओवर होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
7. सफल निविदाकर्ता द्वारा अभिस्वीकृति पत्र (LoA) जारी होने के पंद्रह (15) दिवस के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज़/राशि जमा कराकर अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण किया जाना आवश्यक है–
    a. बैंक गारंटी (Security Deposit / Performance Security)
    b. उच्चतम ऑफर की प्रथम वर्ष की लायसेंस फीस की राशि/कर।
    c. अन्य कोई राशि/कर, जो अभिस्वीकृति पत्र (LoA) में उल्लेखित हो।
    d. निर्धारित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सभी आवश्यक शपथ-पत्र (Affidavits)
    e. सम्पूर्ण लायसेंस अवधि हेतु बीमा पॉलिसी
8. यह ऑफर नगर पालिक निगम, भोपाल के स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित किये जा रहे है। इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन/निरस्ती या स्वीकृति का अधिकार नगर पालिक निगम, भोपाल को है, अतः समस्त कार्यवाही नगर पालिक निगम, भोपाल की स्वीकृति के अधीन रहेगी।
9. पार्किंग स्थल को उच्चतम वार्षिक दर के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा। यदि प्राधिकार अवधि को आगामी वर्ष हेतु बढ़ाया जाता है तो प्रत्येक एक वर्ष पूर्ण होने के बाद अगले वर्ष (द्वितीय वर्ष से) की लायसेंस फीस हेतु उससे पूर्व के वर्षकी वार्षिक लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की वार्षिक लायसेंस फीस दो समान किश्तों में छः-छः माह में उस वर्ष के छः मास प्रारंभ

होने से पंद्रह (15) दिवस पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य है।

10. निविदा ऑफर फॅर्म के रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज एवं फॅर्म की ओर से अधिकृत होने का प्रमाण-पत्र/दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाये।

11. यदि एक ही पार्किंग पैकेज के लिए दो या अधिक के उच्चतम ऑफर एक समान राशि के प्राप्त होते हैं तो समक्ष में बंद लिफाफे में ऑफर आमंत्रित किए जा सकते हैं या इस संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा लिया जाएगा।

12. यदि किसी परिस्थिति में उच्चतम ऑफर को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः ऑफर आमंत्रित किये जाये तब ऑफर करने वालेप्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी तथा पुनः ऑफर आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावेगी।

13. आफरकर्ता को आवश्यक विद्युत कनेक्शन मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से नियमानुसार प्राप्त करना होगा तथा उसके देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

14. यथास्थिति उच्चतम निविदा ऑफर स्वीकृत किये जाने के पश्चात शेष सभी निविदाकर्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप राशि (EMD) राशि नियमानुसार वापस कर दी जावेगी।

15. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम,भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

16. निविदा ऑफर के समय उच्चतम ऑफरकर्ता की प्रतिभूति निक्षेप निधि (EMD) राशि अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात वापस की जाएगी।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा इस संबंध में कोई भी दावा या वाद् मान्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद् का क्षेत्र भोपाल (म.प्र.) रहेगा।

18. निगम की ओर से प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर पार्किंग स्थलका निरीक्षण कर सकेंगे तथा शर्तों के अधीन दिये निर्देशों का पालन स्वीकृत आफरकर्ता को करना बंधनकारी होगा।

19. नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा किसी भी अपरिहार्य कारणों से अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में अनुपातिक राशि बिना किसी ब्याज के वापसी योग्य होगी।

20. अनुबंध में दर्शायी गयी शर्तो के पालन न करने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल के पास बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

21. स्वीकृत आफरकर्ता को प्राप्त होने वाली आय पर कर एवं जी.एस.टी. राशि का भुगतान स्वयं वहन करना होगा एवं जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति संबंधित विभाग एवं पार्किंग सेल को प्रदाय करनी होगी।

22. पैकेज में दिए गए पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूली के लायसेंस हेतु किये जाने वाले अनुबंध का पंजीयन आदि व्ययों का वहन स्वयं स्वीकृत आफरकर्ता द्वारा किया जावेगा।

23. प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर आफर प्रस्तुत करने की दशा में यह माना जावेगा कि आफरकर्ता द्वारा नगर निगम आवंटन संबंधी सभी शर्तों को स्वीकार एवं पैकेज में उल्लेखित समस्त पार्किंग स्थल की स्थिति का अवलोकन किया जाकर ही आफर प्रस्तुत किया है।

24. निविदाकर्ता द्वारा प्रेषित किए जाने वाले सभी अनुलग्नकों की भाषा अंग्रेजी होगी तथा इस निविदा दस्तावेज़ के अंत में दिए गए अनुलग्नकों के प्रारूप अनुसार ही समस्त दस्तावेज़ ई-निविदा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अन्य किसी प्रारूप में प्रस्तुत दस्तावेज़ अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

भाग-II (तकनीकी)

1. पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि अथवा उसका दु रूपयोग नहीं होना चाहिये।
2. नगर निगम भोपाल विशेष परिस्थिति में स्वीकृत अवधि में किसी भी समय परिवर्तित करने, निरस्त करने अथवा पार्किंग स्थल खाली कराने हेतु सक्षम होगा।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की प्राप्त आपत्तियों पर आयुक्त, नगर निगम का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।
4. प्राप्त दरों/प्रस्तावों की स्वीकृति देने/अस्वीकार करने की अधिकारिता निगम को है, अतः ऐसी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा।
5. पार्किंग स्थल पर नगर निगम भोपाल द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क अनुसार ही वसूली की जानी चाहिए, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

   प्रीमियम पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क :-

क्र.	**वाहन का प्रकार**	**एक घंटा**	**1 से 2 घंटे तक**	**2 से 4 घंटे तक**	**4 से 8 घंटे तक**	**8 से 12 घंटे तक**	**12 घंटे के पश्चात प्रति घंटे**	**पास शुल्क**	
								07 दिन	**मासिक**
1.	दो पहिया	10/-	20/-	30/-	40/-	50/-	10/-	300/-	900/-
2.	चार पहिया	30/-	50/-	70/-	90/-	110/-	20/-	1500/-	3500/-

   सामान्य पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क :-

क्र.	**वाहन का प्रकार**	**2घंटे तक**	**2से 4 घंटे तक**	**4से 8 घंटे तक**	**8से 12 घंटे तक**	**12 घंटे के पश्चात प्रति घंटे**	**पास शुल्क**	
							07 दिन	**मासिक**
1.	दो पहिया	5/-	10/-	15/-	20/-	5/-	100/-	300/-
2.	चार पहिया	10/-	20/-	30/-	40/-	10/-	1000/-	2500/-

   उपरोक्त निर्धारित पार्किंग शुल्क में समय-समय पर आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा तथा बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क के अनुपात में वार्षिक लायसेंस फीस में भी वृद्धि की जाएगी।
6. नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थल हेतु निर्धारित वाहन क्षमता (ECS) एवं उसके अनुसार निर्धारित लायसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्थल पर अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है तो उक्त स्थल की हेतु निर्धारित वाहन क्षमता (ECS) के संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा लिया जाएगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा RFP में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रपत्रों में निविदा जमा करना होगा। किसी अनिवार्य दस्तावेज़ के बिना अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाए जाने पर निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
8. निविदाकर्ता को Annexe-B अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल का स्वयं निरीक्षण करना चाहिए तथा

निरीक्षण उपरांत संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लेना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा निविदा जमा करना यह इंगित करता है कि निविदाकर्ता ने समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है और भविष्य में उसके द्वारा उल्लेखित पार्किंग स्थल के संबंध में किसी भी दावा एवं आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

9. निविदाकर्ता या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नगर निगम के किसी कर्मचारी/अधिकारी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करते पाए जाने पर संबंधित संस्था को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
10. पार्किंग स्थल नगर निगम की संपत्ति हैं, सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि तक उल्लेखित पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूली के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। संस्था को अनुबंध अवधि तक संचालन एवं प्रबंधन(Operation &Maintenance) का अधिकार होगा।
11. सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश दिनांक से एक (01) माह की समय-सीमा उल्लेखित पार्किंग स्थल का RFP में निर्धारित शर्तों के अनुसार संधारण एवं संचालन संबंधी समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर पार्किंग संचालन योग्य बनाना होगा। उक्त अवधि को मोराटोरियम अवधि माना जाएगा तथा उक्त अवधि में पार्किंग शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में आयुक्त, नगर निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. संपूर्ण प्रोजेक्ट का संचालन एवं रखरखाव (O&M)ISO-9001:2008 या उच्चतर मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।
13. सफल निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्थल पर सुविधा अनुसार आवश्यक कार्य/संसाधन स्थापित कर सकता है, परंतु ऐसा कोई भी स्थायी निर्माण या परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे पार्किंग स्थल की मूल संरचना प्रभावित हो। यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा ऐसा कोई निर्माण/परिवर्तन किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और सफल निविदाकर्ता को पार्किंग स्थल को पूर्व की भांति तैयार करना होगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय सफल निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।

भाग-III (वित्तीय)

1. निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिभूति निक्षेप निधि राशि (EMD) ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति निक्षेप राशि के प्राप्त हुये निविदा ऑफर विचार योग्य नहीं होंगे।
2. निविदाकर्ता का पिछले तीन वर्ष में निरंतर **प्रति वर्ष का टर्न ओवर 15 लाख रुपए** होना अनिवार्य है। विगत तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वार्षिक टर्न ओवर रिपोर्ट टेंडर जमा करते समय ऑनलाइन दस्तावेजों के साथ अपलोड की जानी चाहिए, तीन वर्ष की वार्षिक टर्न ओवर रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड न किए जाने की स्थिति में निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
3. सफल निविदाकर्ता का चयन ऑनलाइन आमंत्रित की गई निविदा में "उच्चतम वार्षिक लायसेंस फीस" ऑफर के आधार पर किया जाएगा। उच्चतम वार्षिक लायसेंस फीस संस्था द्वारा निगम को दी जाएगी जिसे ऑनलाइन निविदा में "H1" के रूप में प्रदर्शित की जाएगी।
4. निर्धारित दिनांक पर तकनीकी निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन प्रेषित किए गए दस्तावेजों का तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा प्रेषित किए गए दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात ही तकनीकी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किया जाएगा। तकनीकी निविदा में

स्वीकृत किए गए निविदाकर्ताओं को ही वित्तीय निविदा में सम्मिलित किया जाएगा।

5. ऑफरकर्ता को स्वीकृत उच्चतम ऑफर मूल्य के आधार पर स्वीकृत अवधि के लिए अनुबंध करना होगा। अनुबंध हेतु किया गया संपूर्ण व्यय सफल निविदाकर्ता को स्वयं वहन करना होगा।
6. सफल ऑफरदाता को अधिकतम ऑफर स्वीकृति पश्चात दी गई सूचना के 15 दिवस के भीतर ऑफर की वार्षिक राशि की आधी राशि जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा। संस्था को वार्षिक ऑफर राशि की शेष आधी राशि लायसेंस अवधि के छः माह पूर्ण होने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा अभिस्वीकृति पत्र (LoA) जारी होने के 15 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित किए जाने की कार्यवाही न करने पर 15 दिवस की समय-सीमा के बाद से ऑफर राशि के 18% वार्षिक की दर से प्रतिदिन का अधिभार/विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।अभिस्वीकृति पत्र (LoA) जारी होने के अधिकतम 30 दिवस तक अनुबंध निष्पादित नहीं किए जाने की स्थिति मेंसफल ऑफरकर्ता को जारी अभिस्वीकृति पत्र (LoA) निरस्त करने, द्वितीय ऑफरकर्ता को अवसर प्रदान करने अथवा नवीन निविदा आमंत्रित करने का निर्णय आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा किया जाएगा।
8. सफल निविदाकर्ता को नियमानुसार लाइसेंस फीस पर अधिरोपित 2% टीसीएस राशि नगर निगम भोपाल को जमा करना होगी एवं 18% जीएसटी तथा अन्य समस्त करों का स्वयं भुगतान कराकर पार्किंग सेल को अवगत कराना होगा।
9. निविदाकर्ताओं को टेंडर में निर्धारित निक्षेप निधि राशि (EMD) ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर जमा कराना होगी। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के भुगतान या दस्तावेज़ अपलोड करने में होने वाली त्रुटि/विलंब के लिए निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। अपूर्ण दस्तावेजों के साथ अथवा अन्य किसी त्रुटिपूर्ण निविदा को अमान्य करने का अधिकार नगर निगम भोपाल को होगा।
10. यदि संस्था द्वारा लायसेंस अवधि प्रारंभ होने के **पैंतालीस (45) दिन** तक लायसेंस फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संस्था द्वारा जमा की गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी को राजसात करके बकाया लायसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम भोपाल द्वारा वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी राजसात करने की कार्यवाही की सूचना संस्था को दी जाएगी। संस्था द्वारा दी गई सूचना के पंद्रह(15) दिवस के भीतर राजसात की गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी को पुनः जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि संस्था द्वारा पुनः वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी जमा नहीं कराई जाती है तो अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा इस संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11. संस्था द्वारा विलंब से लायसेंस फीस जमा करने पर नियमानुसार अधिरोपित विलंब शुल्क/अधिभार राशि लायसेंस फीस के साथ ही जमा करायी जानी चाहिए। यदि संस्था द्वारा विलंब से जमा की गई लायसेंस फीस की राशि पर अधिरोपित विलंब शुल्क/अधिभार राशि लायसेंस फीसजमा करने की दिनांक से एक (01) माह तक जमा नहीं की जाती है तो संस्था द्वारा जमा की गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी राजसात करते हुए अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा इस संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

12. यद्यपि नगर निगम कार्यालय द्वारा लायसेंस फीस जमा करने हेतु सूचना दी जाएगी परंतु संस्था द्वारा सूचना की प्रतीक्षा न करते हुए समय पर लायसेंस फीस जमा की जानी चाहिए। लायसेंस फीस जमा करने हेतु दी जाने वाली सूचना में विलंब के लिए नगर निगम भोपाल की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। समय पर लायसेंस फीस जमा करने की संपूर्ण ज़िम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
13. संस्था द्वारा लायसेंस फीस का भुगतान NEFT/RTGS/नेटबैंकिंग/डिमांड ड्राफ्ट या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग पद्धति के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। **किसी भी स्थिति में चैक द्वारा लायसेंस फीस का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।**NEFT/RTGS/ नेटबैंकिंग या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग पद्धति के माध्यम से किए गए भुगतान की पावती/विवरण तत्काल नगर निगम भोपाल को प्रेषित करना होगा।
14. संस्था द्वारा जमा की गई लायसेंस फीस पर अधिरोपित 2% टीसीएस की राशि को छोडकर 18% GST एवं अन्य संबंधित करों(जो भी लागू हों) का भुगतान स्वयं करना होगा तथा करों के भुगतान की पावती/विवरण नगर निगम कार्यालय को प्रेषित करना होगा।लायसेंस फीस पर अधिरोपित 2% टीसीएस की राशि का भुगतान नगर निगम भोपाल कार्यालय में किया जाना चाहिए। यदि किसी विभागीय कर की दर में परिवर्तन होता है तो परिवर्तित दर के अनुसार संस्था को करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
15. निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने से प्रोजेक्ट समाप्त होने तक निविदा/प्रोजेक्ट संबंधी समस्त कार्यों में होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित निविदाकर्ता/संस्था द्वारा किया जाएगा।
16. संस्था द्वारा सफलतापूर्वक पार्किंग ठेके की प्रथम वर्ष की लायसेंस अवधि पूर्ण करने के पश्चात यदि आगामी वर्ष हेतु प्राधिकार अवधि बढ़ाई जाती है तो द्वितीय वर्ष एवं आगामी वर्ष हेतु लायसेंस फीस में 10% की वार्षिक वृद्धि करते हुए निर्धारित बकाया दिनांक के पंद्रह (15) दिवस पूर्व जमा कराई जाएगी। संस्था द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस की राशि बकाया दिनांक तक जमा न करने पर बकाया दिनांक से राशि जमा करने की दिनांक तक की अवधि का18% वार्षिक दर से विलंब शुल्क/अधिभार वसूल किया जाएगा।
17. यदि नगर निगम भोपाल द्वारा पार्किंग शुल्क निर्धारित करने वाले स्थायी आदेश में परिवर्तन किया जाता है, तो इस निविदा दस्तावेज़ (RFP) के भाग –II (तकनीकी) के बिन्दु क्र. 5 में उल्लेखित न्यूनतम पार्किंग दरों में नवीन निर्धारित न्यूनतम पार्किंग दरों के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा तथा संस्था पर अधिरोपित **लायसेंस शुल्क में स्थायी आदेश जारी होने की दिनांक से न्यूनतम पार्किंग दरों में वृद्धि के अनुसार आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी।**

    (उदाहरण के लिए यदि निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स शुल्क 500000/- रुपये हो तथा न्यूनतम पार्किंग दर 5/- से 10/- रुपये की जाती है, तो न्यूनतम पार्किंग दर दोगुनी किए जाने के कारण वार्षिक लाइसेन्स शुल्क 1000000/- रुपये किया जाएगा।)

भाग-IV (ई-निविदा)

1. ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाने के पश्चात निर्धारित तिथि एवं समय पर प्री-बिड बैठक का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा से संबंधित समस्त शिकायत एवं सुझाव प्री-बिड बैठक में नगर निगम होर्डिंग शाखा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त प्रस्तुत शिकायत एवं सुझाव के संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त नगर नगर निगम द्वारा लिया जाएगा। प्री-बिड बैठक नगर निगम मुख्यालय, भोपाल में आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश इच्छुक निविदाकर्ता प्री-बिड बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं तो वे अपनी शिकायत एवं सुझाव पार्किंग सेल के ईमेल parkingcell2015@gmail.comपर प्रेषित कर सकते हैं। नगर निगम भोपाल निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार कर सकता है, परंतु प्राप्त होने वाले ऐसे किसी भी सुझाव पर कार्यवाही करने के लिए नगर निगम भोपाल बाध्य नहीं होगा।
2. निविदा से संबंधित समस्त संशोधन (Corrigendum) ऑनलाइन टेंडर पोर्टल www.mptenders.gov.in पर किए जाएंगे तथा इस संबंध में किसी समाचार-पत्र में संशोधित विज्ञप्ति (Corrigendum) प्रकाशित नहीं की जाएगी। निविदाकर्ता सतत रूप से ऑनलाइन टेंडर पोर्टल www.mptenders.gov.inका अवलोकन करते रहें। इस संबंध में किसी भी प्रकार के संचार/सूचना आदान-प्रदान के लिए नगर निगम भोपाल उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदाकर्ता को ऑनलाइन निविदा सबमिट करते समय RFP की अनुसूची में उल्लेखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा में अपलोड किए जा रहे दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। अहस्ताक्षरित दस्तावेजों के आधार पर सबमिट की गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. नगर निगम भोपाल द्वारा पार्किंग स्थल की स्थिति का परीक्षण एवं संभावनाओं का अध्ययन करते हुए ही निविदा आमंत्रित की जा रही है, तथापि निविदाकर्ता को निविदा डालने से पूर्व पार्किंगस्थल का स्वयं अपने स्तर पर परीक्षण किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को उल्लेखित पार्किंग स्थल के वातावरण, यातायात, स्थल की उपलब्धता, आसपास की परिस्थितियों का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लेना चाहिए। पार्किंग स्थल या निविदा के संबंध में यदि कोई संशय, समस्या या अवरोध परिलक्षित होता है तो निविदाकर्ता प्री-बिड में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
5. निविदाकर्ता 01. स्वयं, 02. साझेदारी फर्म (Partnership Firm) या 03. निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी (Private or Public Company)होना चाहिए।
6. निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज़ निविदा के साथ संलग्न किए जाने चाहिए–
   a) आधार कार्ड एवं पेन कार्ड
   b) फर्म/संस्था/कंपनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र
   c) यदि कंपनी एक्ट के तहत पंजीयन हुआ है तो ज्ञापन (Memorandum) एवं उपबंध (Articles) की शर्तों की प्रमाणित प्रति।
   d) तीन वर्ष की आयकर विवरणी (IT Return)
   e) GST पंजीयन
   f) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्ष की वार्षिक टर्नओवर की लेखा

(Audit)रिपोर्ट।

g) पार्किंग सेल,नगर निगम भोपाल द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र।

h) नो-ब्लैकलिस्टेड घोषणा-पत्र (निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर नोटरी किया हुआ शपथ-पत्र)।

नोट : नगर निगम भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार निविदा प्रक्रिया के दौरान एवं उसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु संस्था को निर्देशित किया जा सकता है, जिन्हें संस्था को अनिवार्य रूप से नगर निगम भोपाल को उपलब्ध कराना होगा।

7. निविदाकर्ता को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि,

a) निविदा में अपूर्ण/गलत/कूटरचित जानकारी दी जाती है।

b) निविदा से संबंधित कोई स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) प्रस्तुत नहीं किया जाता।

c) एक ही व्यक्ति दो निविदाकर्ता संस्था के प्रतिनिधि/स्वामी के रूप में सम्मिलित होता है।

d) सफल निविदाकर्ता उनको प्रदाय किया गया स्थल किसी अन्य संस्था को किराए/लीज पर देता है।

e) कोई संयुक्त उद्यम (Joint Venture) एवं संगठन(consortiums) निविदा में भाग लेता है।

f) कोई निविदाकर्ता चयन के किसी भी चरण में नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रभावित करता है।

g) तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व यदि कोई निविदाकर्ता नगर निगम भोपाल द्वारा डिफ़ाल्टर या ब्लैक लिस्ट किया जाता है।

h) पूर्व में नगर निगम भोपाल द्वारा ब्लैकलिस्टेड किया गया हो।

i) ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट एवं पठनीय नहीं हों।

भाग-V (LoA)

1. संस्था को अधिकतम ऑफर राशि के बराबर राशि की किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी स्थायी (irrevocable) एवं शर्त रहित (Unconditional)इलेक्ट्रानिक वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी, जो भोपाल(म.प्र.) में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा ।वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटीइलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड होनी चाहिए जो अनुबंध अवधि के पश्चात तक की अवधि के लिए स्वतः नवीकरणीय (Auto Renew) होनी चाहिए। वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटीभोपाल (म.प्र.) स्थित बैंक की शाखा से ही जारी की जानी चाहिए । भोपाल (म.प्र.) से बाहर अन्य किसी भी बैंक शाखा से जारी वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. यदि सफल निविदाकर्ता द्वाराअभिस्वीकृति पत्र (LoA) जारी होने के 15 दिवस के भीतर अनुबंध की कार्यवाही निष्पादित नहीं की जाती है, तो इस RFP के भाग –III (वित्तीय) की कंडिका क्र. 6 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
3. यदि किसी विशेष कारणवश या परिस्थितिजन्य कारकों के कारण अनुबंध निष्पादन में विलंब होता है तो अभिस्वीकृति पत्र (LoA) जारी होने के बाद नगर निगम भोपाल अनुबंध निष्पादन हेतु संस्था को अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है, परंतु इस अतिरिक्त समय के लिए ऑफर राशि के18% वार्षिक की दर से प्रतिदिन का अधिभार/विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। संस्था को अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. अभिस्वीकृति पत्र (LoA) जारी करने का यह आशय नहीं है कि संबंधित संस्था को किसी भी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। LoA जारी होने के पश्चात अनुबंध निष्पादित करके कार्यादेश जारी होने के बाद ही संस्था को किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान की जाएगी। सफल निविदाकर्ता को सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद कार्यादेश जारी होने के बाद ही सभी निविदाकर्ताओं की निक्षेप निधि राशि (EMD)ऑनलाइन वापस की जाएगी। जमा निक्षेप निधि राशि (EMD) पर किसी भी प्रकार का ब्याज नगर निगम द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

भाग-VI (वित्तीय गारंटी / बैंक गारंटी)

1. संस्था को अधिकतम ऑफर राशि के बराबर राशि की किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी स्थायी (irrevocable) एवं शर्त रहित (Unconditional) वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी, जो भोपाल(म.प्र.) में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी अनुबंध की दिनांक से अनुबंध समाप्ति दिनांक से आगामी छः (06) माह बाद तक वैध होना चाहिए।
3. प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी संस्था को वापस की जाएगी।
4. जमा करायी गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नगर निगम भोपाल द्वारा नहीं किया जाएगा।
5. प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के पश्चात संस्था द्वारा सभी प्रकार के शुल्कों तथा विलंब शुल्क/अधिभार आदि का भुगतान करने और सभी पार्किंग स्थल, संपत्तियाँ एवं सेवाएँ मूल रूप में निगम को वापस करने की स्थिति में ही संस्था द्वारा जमा कराई गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी वापस की जाएगी।
6. यदि किसी पार्किंग स्थल, संपत्तियों एवं सेवाओं आदि में विकृति परिलक्षित होती है तो संस्था को अथराइजेशन अवधि समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करवाकर निगम को सौंपना होगा । ऐसी स्थिति में संबंधित सुधार कार्य के बाद ही संस्था को वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी वापस की जाएगी।
7. लायसेंसशुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में संस्था द्वारा जमा की गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी को राजसात करके बकाया लायसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा। राजसात की गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/बैंक गारंटी को पुनः जमा कराना अनिवार्य होगा।
8. यदि निविदाकर्ता द्वारा निविदा अवधि के दौरान या पश्चात विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी को राजसात कर देयकों का भुगतान किया जाएगा और संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

भाग-VII (प्रोजेक्ट क्रियान्वयन)

1. प्रोजेक्ट की कार्यावधि एक (01) वर्ष की होगी, जो कि एक (01) माह के मोराटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद प्रारंभ होगी। लायसेंस फीस उक्त एक वर्ष हेतु ही जमा कराई जाएगी। एक (01) माह के मोराटोरियम अवधि हेतु कोई लायसेंस फीस नहीं ली जाएगी। संस्था द्वारा सफलतापूर्वक एक (01) वर्ष की कालावधि पूर्ण करने के पश्चात आगामी एक(01) वर्ष हेतु अथवा नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रोजेक्ट संचालन की अनुमति आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा दी जा सकती है। अवधि में वृद्धि करने का संपूर्ण अधिकार नगर निगम भोपाल के पास सुरक्षित है। प्रोजेक्ट की अवधि न बढ़ाए जाने पर संस्था द्वारा प्रेषित किसी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी दावा-आपत्ति पर विचार किया जाएगा।
2. मोराटोरियम अवधि (01माह) के दौरान संस्था द्वारा पार्किंग स्थल को व्यवस्थित करते हुए आवश्यक उपकरण व साज सज्जा की व्यवस्था करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसका समय-समय पर नगर निगम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था को सौंपा गया कार्य संतोषजनक नहीं है तो संस्था को संबंधित पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूली करने के अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे।
3. मोराटोरियम अवधि अवधि के दौरान संस्था को पार्किंग शुल्क वसूली के अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे। संस्था को मोराटोरियम अवधि के पश्चात पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूली करने की लिखित अनुमति नगर निगम भोपाल द्वारा प्रदान की जाएगी। संस्था को समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात कार्य पूर्ण होने का प्रमाणपत्र सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नगर निगम अधिकारियों के निरीक्षण पश्चात प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन किया जाएगा तथा पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूली करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
4. नगर निगम भोपाल सफल निविदाकर्ता को पार्किंग शुल्क वसूली करने हेतु पार्किंग स्थल प्रदान करेगा। पार्किंग स्थल का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्येश्य से संस्था को उसे सौंपा गया है। यदि उल्लेखित स्थल पर अनुबंध अवधि के दौरान किसी निजी या शासकीय संरचना, निर्माण आदि का प्रभाव पड़ता है तो संस्था उक्त पार्किंग स्थल के संबंध में लिखित अनुरोध आयुक्त, नगर निगम भोपाल से कर सकती है, जिसका निर्णय आयुक्त, नगर निगम भोपाल द्वारा लिया जाएगा।
5. संपूर्ण लायसेंस अवधि के दौरान यदि यह सिद्ध होता है कि संस्था द्वारा कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर प्राप्त किया गया है तो संस्था द्वारा जमा की गई वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटीको राजसात कर लिया जाएगा एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
6. यदि लायसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय संस्था प्रोजेक्ट को छोड़ देती है या अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं करती है तो संस्था के साथ साथ अनुबंध को निरस्त करते हुए वित्तीय गारंटी (Performance Security)/ बैंक गारंटी राजसात कर ली जाएगी।
7. प्रदाय किए गए प्रोजेक्ट की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी, संस्था द्वारा निष्पादित किए गए अनुबंध को किसी भी स्थिति में अन्य किसी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और न ही प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए अन्य किसी संस्था के साथ उप अनुबंध (Sub-Contract) निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि प्रोजेक्ट क्रियान्वनयन के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि संस्था द्वारा अन्य किसी संस्था को प्राधिकार प्रदान किए गए हैं या उप अनुबंध (Sub-Contract) निष्पादित किया गया है, तो संस्था को प्रदाय किया गया टेंडर पैकेज निरस्त कर दिया जाएगा।

8. लायसेंस अवधि के दौरान निष्पादित अनुबंध के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में या प्रशासनिक कारणों से निम्नानुसार अनुबंध निरस्त किया जा सकता है –

A. नगर निगम भोपाल द्वारा 30 दिवस की लिखित सूचना देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है, यदि,

a) संस्था को RFP अनुसार दी गई ज़िम्मेदारी में असफल रहने या दिए गए नोटिस आदि पर संतोषजनक कार्यवाही न करने के कारण।

b) संस्था को RFP/अनुबंध की शर्तों में किए गए उल्लंघन के सुधार हेतु नगर निगम भोपाल द्वारा सुधार/प्रतितोषण हेतु अधिकतम 15 दिवस का समय दिया जाएगा, परंतु यदि उक्त अवधि के बाद भी संस्था द्वारा संतोषजनक सुधार नहीं किया जाता तो अनुबंध निरस्त किया जाएगा।

c) संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

d) किसी प्रकार के विवाद आदि के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के समाधान के बाद लिए गए निर्णय के तहत दिए गए निर्देशों का सफलतापूर्वक पालन नहीं किया जाता।

e) संस्था द्वारा निविदा एवं लायसेंस अवधि के दौरान कोई जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने पर, जिससे किसी निविदा शर्त/शर्तों का उल्लंघन होता हो।

f) अन्य कोई कारण, जो नगर निगम भोपाल को परिलक्षित होता है।

B. संस्था द्वारा 30 दिवस की लिखित अग्रिम सूचना देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है, यदि

a) RFP अनुसार किसी भी प्रकार की देनदारी नगर निगम भोपाल द्वारा संस्था को देय है, जिसके संबंध में संस्था द्वारा लिखित में नगर निगम भोपाल को सूचित किया गया हो एवं सूचना के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद भी निगम द्वारा चुकाई न जा रही हो या कोई प्रति उत्तर न दिया जा रहा हो।

b) RFP अनुसार किसी प्रकार की वैध मांग संस्था द्वारा लिखित मेंनगर निगम भोपाल से की गई हो एवं सूचना के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद भी निगम द्वारा उक्त मांग पूर्ण न की गई हो या कोई प्रति उत्तर न दिया जा रहा हो।

c) किसी प्रकार के विवाद आदि के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के समाधान के बाद लिए गए निर्णय के तहत दिए गए निर्देशों अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा पालन नहीं किया जाता।

भाग-VIII (पार्किंग स्थल)

1. पार्किंग ठेके की संपूर्ण अवधि के दौरान पार्किंग स्थलका संधारण संबंधित संस्था द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम भोपाल द्वारा तय किए गए मानकों एवं मापदण्डों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। इसमें मानव संसाधन (मेनपावर), संसाधन, सुरक्षा, ग्राहक सेवा, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक अवयव जैसे वित्तीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जीवन/सुरक्षा प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन एवं प्रशासनिक नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ सम्मिलित होंगे।
2. पार्किंग स्थल की सुरक्षा, संधारण एवं संचालन हेतु संसाधन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाएगी तथा संपूर्ण लायसेंस अवधि में संस्था द्वारा प्रोजेक्ट के सरल एवं सफल संचालन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
3. संस्था को पार्किंग स्थल के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन हेतु एक स्थायी दल का गठन करना होगा जो पार्किंग स्थलके दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान एवं संधारण करेंगे।
4. संस्था को ऑफ स्ट्रीट सरफेस पार्किंग एवं मल्टी लेवल पार्किंग का फायर सेफ़्टी ऑडिट कराना होगा, जिसका संपूर्ण व्यय संबंधित संस्था को करना होगा।
5. संस्था द्वारा सभी वैधानिक औपचारिकताएँ जैसे लेबर लायसेंस, वृत्तिकर पंजीयन, सभी संलग्न कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा (ESI)एवं भविष्य निधि (PF)एक्ट के तहत पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। साथ ही सभी लागू नियमों जैसे श्रम क़ानूनों, न्यूनतम मजदूरी हेतु निर्धारित क़ानूनों आदि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी नियम/कानून का पालन करने की संपूर्ण ज़िम्मेदारी संस्था की होगी तथा इसके उल्लंघन से होने वाले वाद-विवाद तथा कानूनी कार्यवाहियों में नगर निगम भोपाल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
6. संपूर्ण लायसेंस अवधि के दौरान पार्किंग स्थल स्वच्छ,सुरक्षित एवं व्यवस्थित होने चाहिए।
7. निविदा में सम्मिलित पार्किंग स्थल सरफेस पार्किंग के अंतर्गत हैं, जो ऑन स्ट्रीट या ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्थल हो सकते हैं। उक्त पार्किंग स्थल में से केवल ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्थल पर यदि सफल निविदाकर्ता चाहे तो मल्टी लेवल हाइड्रोलिक सिस्टम तैयार कर पार्किंग क्षमता का विकास कर सकता है, परंतु उक्त सिस्टम स्थापित करने से पूर्व आयुक्त, नगर निगम के समक्ष मल्टी लेवल हाइड्रोलिक सिस्टम के विस्तृत योजना सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करके पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी। आयुक्त, नगर निगम भोपाल की अनुमति प्राप्त किए जाने के पश्चात ही उक्त सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।
8. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा ऑफ स्ट्रीट सरफेस पार्किंग को नवीन तकनीकों पर आधारित मल्टी लेवल हाइड्रोलिक सिस्टम स्थापित किया जाता है तो उसे निम्नानुसार मानकों को पूर्ण करना होगा –
   (i) मल्टी लेवल हाइड्रोलिक सिस्टम सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण होना चाहिए।
   (ii) मल्टी लेवल हाइड्रोलिक सिस्टम का शासन द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से सेफ़्टी ऑडिट एवं अन्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण की जानी चाहिए।
   (iii) मल्टी लेवल हाइड्रोलिक सिस्टम का नागरिक समूह बीमा कराया जाना चाहिए।
9. मल्टी लेवल पार्किंग के लिए सफल निविदाकर्ता मल्टीलेवल पार्किंग स्थल की सम्पूर्ण वाहन क्षमता के 40प्रतिशत के बराबर ही साप्ताहिक या मासिक पास जारी करेंगे। जारी किए जाने वाले साप्ताहिक या मासिक पास की संपूर्ण सूची प्रतिमाह पार्किंग सेल की ईमेल आईडी

parkingcell2015@gmail.comपर प्रेषित करना होगी। किसी भी स्थिति में एक्टिव पास की कुल संख्या मल्टीलेवल पार्किंग की कुल वाहन क्षमता के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए परंतु विशेष परिस्थितियों में आयुक्त नगर निगम भोपाल की अनुमति प्राप्त करके 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक पास जारी किए जा सकेंगे।

10. मल्टी लेवल पार्किंग के लिए साप्ताहिक या मासिक पास धारकों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग स्थल के सबसे ऊपरी तल (फ्लोर) से ही स्थान आरक्षित किया जाए अर्थात पास धारकों के वाहनों को पार्किंग स्थल के सबसे ऊपरी तल (फ्लोर) पर खड़ा कराया जाए और उक्त तल (तल) पूर्णतः भरने के बाद ही उससे नीचे के तल (फ्लोर) में पास धारकों को पार्किंग की अनुमति दी जाए। सबसे निचले तल (फ्लोर) पर अल्प अवधि के लिए वाहन खड़े करने वालों को प्राथमिकता दी जाए। निचले तल पर ऐसे वाहनों को खड़ा करने की अनुमति न दी जाए जो दीर्घ अवधि के लिए पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे वाहनों को वरीयतः सबसे ऊपरी तथा उससे नीचे के तल (फ्लोर) पर खड़ा कराया जाए।
11. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग स्थल पर कोई भी अनाधिकृत होर्डिंग, स्टीकर, पोस्टर आदि न लगाए/चिपकाए जाएँ । यदि ऐसा पाया जाता है तो संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
12. लायसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात संस्था को प्रदाय किए गए पार्किंग शुल्क वसूली के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यद्यपि नगर निगम भोपाल द्वारा लायसेंस अवधि समाप्त होने से पूर्व ही संस्था को सूचना दी जाएगी परंतु संस्था को स्वयं लायसेंस अवधि समाप्त होने से **30 दिवस** पूर्व ही नगर निगम भोपाल को लायसेंस अवधि बढ़ाए जाने या समाप्त करने के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दी जाती है तो यह माना जाएगा कि संस्था लायसेंस अवधि में वृद्धि करने की इच्छुक नहीं है और नगर निगम भोपाल द्वारा पार्किंग स्थल को अपने आधिपत्य में लेकर विभागीय वसूली प्रारंभ कर दी जाएगी।
13. सफल निविदाकर्ता पार्किंग स्थल से होने वाली समस्त राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार होगा। संस्था अपनी पूरी क्षमता से नियमानुसार शुल्क वसूली करने हेतु स्वतंत्र है। नगर निगम भोपाल ऐसे किसी भी प्रकरण में उत्तरदायी नहीं होगा जिसमें संस्था को आय में कमी या वसूली न होने आदि की स्थिति निर्मित होती है।
14. पार्किंग का संचालन एवं लायसेंस अवधि के दौरान संस्था को निम्नलिखित विनिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा –
    a) संस्था को पार्किंग स्थल पर सभी प्रकार के आवश्यक संधारण कार्यों को स्वयं के व्यय पर पूर्ण कराना होगा। लायसेंस अवधि के दौरान पार्किंग स्थल एवं पार्किंग स्थल पर स्थापित समस्त उपकरणों एवं सामग्री की सुरक्षा एवं रखरखाव की समस्त ज़िम्मेदारी संस्था की होगी।
    b) लायसेंस अवधि के दौरान संस्था को पार्किंग स्थल हेतु निर्धारित समस्त मानक प्रक्रिया प्रचालन (SOP) का पालन करना होगा, जिसमें मेनपावर, सुरक्षा उपकरण, जनसुविधा एवं अन्य आवश्यक प्राथमिक कार्य (जो भी) सम्मिलित होंगे।
    c) संस्था को पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार/स्थल पर प्राधिकार अवधि, लायसेंसी व्यक्ति/संस्था का नाम, मोबाइल नंबर एवं पार्किंग सुपरवाइज़र का नाम 2X3 वर्गफुट के स्टेंडिंग बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए।

d) पार्किंग दरों की सूची पार्किंग स्थल के एंट्री, एग्जिट एवं मध्य में 2X3 वर्गफुट के स्टेंडिंग बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए। मल्टी लेवल पार्किंग में प्रत्येक फ्लोर पर 2X3 वर्गफुट के स्टेंडिंग बोर्ड पर पार्किंग दर अंकित की जाना चाहिए।

e) पार्किंग मेनेजमेंट सिस्टम उच्च गुणवत्ता एवं सुरक्षा के साथ संधारित किए जाने चाहिए।

f) लायसेंस अवधि समाप्त होने के बाद पार्किंग स्थल पर लगाए गए सभी उपकरण एवं सम्पूर्ण पार्किंग स्थल आयुक्त नगर निगम भोपाल या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष अच्छी स्थिति में सौंपे जाने चाहिए। पार्किंग स्थल पर लगाए गए सभी उपकरण नगर निगम भोपाल की संपत्ति कहलाएंगे, जिन्हें संस्था द्वारा व्यवस्थित एवं संचालित अवस्था में नगर निगम भोपाल को सौंपना होगा।

g) लायसेंस अवधि के दौरान पार्किंग स्थल पर लगाए जाने वाले सभी आवश्यक उपकरणों, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संस्था द्वारा स्थापित किए जाएंगे।

h) पार्किंग स्थल के संचालन, सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु संस्था को पर्याप्त संख्या में मेनपावर नियुक्त करना होगा। यह मेनपावर तात्कालिक स्थितियों का समाधान करने हेतु उत्तरदायी होगी। यह मेनपावर पूर्णतः प्रशिक्षित एवं परिस्थियों को समझकर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

i) पार्किंग स्थल पर स्थापित उपकरणों, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के संवर्धन (Update) या नए वर्शन उपलब्ध होने पर स्वयं के व्यय पर इन्स्टाल करने होंगे। नगर निगम भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देशित किए गए निर्माण कार्य जो पार्किंग स्थल की व्यवस्था एवं संचालन हेतु आवश्यक है संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर करने होंगे।

j) पार्किंग स्थल पर क्षति, चोरी एवं अन्य हानि हेतु संस्था द्वारा 01 करोड़ रुपए तक का बीमा कराना होगा। इस प्रकार के किसी भी क्लेम के लिए संबंधित लायसेन्सी संस्था जिम्मेदार होगी।

15. पार्किंग प्रबंधन योजना (PARKING MANAGEMENTPLANS) :

(a) Clear designation of ParkingFacilities.

(b) The layout and orientation of parking slots, including the type of vehiclepermitted.

(c) Applicable Parking Fee.

(d) The location and type of static and dynamic signage to beinstalled.

(e) External factors such as traffic volumes adjacent roads and width of roads also need to be considered for to facilitate the access to the facility by thevehicles.

(f) Solar powered parking facilities shall beencouraged.

(g) Have sufficient site distances for internal circulation during parking andun-parking.

(h) Have efficient parking fee collection mechanism at entry or exit orboth.

(i) Drive way requirements should be carefully designed based on alternative parking Drive way requirements should be carefully designed based on alternative parking layout to efficiently utilize the available space.

(j) All the parking facilities should also facilitate the convenient parking

fordisabled.

(k) In all the basement parking facilities, a special consideration need to be given for safety of users/staff or anyone inside the facility as those places are susceptible to crime. In all these facilities the video surveillance ismandatory.

(l) In all on-street parking facilities, storage space should be left at all sides of trafficintersection.

(m) The park-and-ride facilities at transit stations should be located and designed in such a way that it the entry and exit of vehicles should not conflict with the movement ofpedestrians.

(n) The slope for access ramps in any parking facility should not be steeper than1:50.

16. चिन्हाकन एवं सूचना बोर्ड स्थापना (ROAD MARKINGS ANDSIGNAGE) :

(a) Have Markings for parking bays and drive ways. The marking should clearly indicate thedirections to the spaces for each vehicle type, each parking bay, drive way, directions to the exitetc.

(b) Sufficient bay size to facilitate the length, width, head room and opening of doors based on the corresponding vehicle type.

(c) Have Information boards specifying the facility name, parking capacity, pricing, time restrictions, and vehicle types allowedetc.

(d) All the off-street parking facilities shall be provided with the basic amenities like lighting inside the facility to ease the convenience for theuser.

(e) Satisfy the drive way requirements in the design and implementation as per parkingstandards.

(f) All the parking signs should be consistent as per IRC: 67 – 2012 “Code of Practice for Road Signs”.

(g) Where parking is allowed and notallowed

(h) What type of vehicle maypark.

(i) Permitted parking arrangements (e.g. perpendicular vs.parallel).

(j) Applicable parking fees.

(k) An identification number (used when paying parkingfees).

(l) Specific time slots, if the zone is not an all day parkingslot.

(m) In the case of Block Faces, road markings will be displayed continuously for the length of the Block Face and signage will be installed at an interval of at least 20 m. At least one sign should be visible from each Parking Slot

along a BlockFace.

17. पार्किंग शुल्क भुगतान प्रबंधन (PARKING FEE PAYMENT SYSTEM)

The Service Provider will create a fee payment system by which users can pay parking fees using a mobile phone or smart phone application. The payment system will:

(a) Register the beginning and end of a Parking Event through a text message or through a smartphone application.
(b) Send an alert when the duration of the Parking Event is about to exceed the user'sbalance.
(c) Send a response/confirmation message for all useractions.
(d) Handle transactions by users with UserAccounts.
(e) Have the ability to differentiate charges basedon:
(f) Type ofvehicle.
(g) Duration of the ParkingEvent.

18. कैशलेस भुगतान प्रक्रिया (CASHLESS PAYMENTSYSTEM) :

(a) Automatic Fare Collection (POS Terminals) - A reader modules will be integrated in entry & exit barriers of parking that enable payment through bank card (credit & debitcard).
(b) Pay-By-Phone (Mobile App) - Cashless parking is a quick and secure way to pay for parking if you do not have to use the cash. A Pay-By-Phone mobile application will be developed, so that User will use their mobile phone instead of paying in cash and the payment is made using their registered credit or debit card by registering on Pay-By-Phone mobile application or even without registering on Pay-By-Phone app by using guest check-out directly by paying the parking charges.
(c) Third Party Mobile Wallets (Phonpe, Paytm, Google Payetc.)
(d) Parking Management SystemsCard
(e) Vehicle Mounted Transponder (ElectronicTags)
(f) e-Parking Permits - To make full use of electronic and web services virtual e-Parking permits are the way forward. This has major benefits in reducing costs, administration and they are environmentally friendly. In practice the car registration plate becomes the permit ANPR (automatic number plate recognition) systems. Once the car registration plate is registered with application the vehicle can be parked within the rules at that parking location and the parking charges will be deducted from User-wallet.
(a) Contactless Payment Technology - A reader modules will be integrated in entry & exit barriers of parking that enable vending machine equipment and component

manufacturers to integrate contactlesstechnology.

19. पार्किंग स्थल पर वाहन आगमन-निर्गम व्यवस्था (ENTRY-EXIT CONTROL SYSTEM) :

(b) Ability to record the vehicle's license plate number upon entry andexit.

(c) Real-time communication with the ITsystem.

(d) Ability to notify enforcement personnel if a vehicle has overstayed the paidperiod.

(e) Service Provider may establish kiosks at off-street parking locations and enable cashless payment system. The Service Provider will restrict direct cash collection fromUsers.

20. तकनीकी विशिष्टताएँ एवं मानक स्तर (TECHNOLOGY SPECIFICATIONS ANDSTANDARDS) :

A)IT SYSTEM AND CONTROL CENTRE

The Service Provider will operate a Control Centre with the capability to provide summary reportsand real-time information to Municipal Corporation Bhopal including but not limited to the following:

- Number of vehicles parked on eachparking
- Details for each ParkingEvent:
  - Vehicle license platenumber
  - Vehicletype
  - UserID
  - Starttime
  - End time
  - Location
  - Applicable Fees
  - Paymentstatus
  - Applicable Fines

The Control Centre will serve as a single point of contact for Municipal Corporation Bhopal to communicate with the Service Provider as and when needed.

B)WEBSITE

The Service Provider will create a website with the following functionality:

(a) Displays real-time occupancy at all parking locations covered under the System.

(b) Displays current information on parking fee levels on all streets covered under theSystem.

(c) Displays a map of each parkinglocation.

(d) Provides a user account section with the ability to create a user account, modify the user profile, recharge the user's prepaid account, or payfines.

(e) Available inEnglish.
(f) Displays real-time fines issued andcollected.

C)SMARTPHONE APPLICATION

The Service Provider will create smart phone applications for the top three smartphone operating systems used by the membership base (as calculated through membership surveys) with the following functionality:

(a) Displays real-time occupancy at all parking locations covered under the System and specific parking areas near the user'slocation.
(b) Displays current information on parking fee levels on all streets covered under theSystem.
(c) Provides a user account section with the ability to create a user account, modify the user profile, recharge the user's prepaid account, or payfines.
(d) Available inEnglish.
(e) Displays real-time fines issued andcollected.
(f) Responsive interface to facilitate use on a wide range of devices with differentsizes.

D)CUSTOMER INFORMATION &MARKETING

The operator will be required to market the System with a focus on encouraging proper parking in the city. The operator is encouraged to use traditional marketing techniques as well as modern marketing using web technology and IT systems. The marketing campaign must comprise but is not limited to the following:

- Information on the Systemwebsite:
  - How to use the parking system, including user accounts, parking coupons, fee payment, and fine payment.
  - A regularly updated blog with news about fee structures, changes in parkingrules,
- Facebook page with regular updates about the system, user tips, photos, and otherinformation.
- Twitter feed with regularupdates.
- Regular press interactions to disseminate information on System features andbenefits.
- Launch phase for three months starting on the Commencement Dateincluding:
  - Marketing events and temporary customer service kiosks at popular on-street parking locations.
  - Membership drive to encourage people to set up UserAccounts.
  - Outreach to business associations, resident welfare associations, and other localstakeholders.
  - Advertisements on the radio and printmedia.

भाग-IX (विवाद की स्थिति)

1. संपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा नगर निगम भोपाल एवं संबंधित संस्था द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा, जिसके लिए दोनों पक्ष संयुक्त बैठक आयोजित करके मामलों का निपटारा करेंगे। यदि आपसी सहमति से विवाद का निपटारा संभव नहीं होता है तो इस संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 403 के तहत आयुक्त नगर निगम भोपाल के अनुमोदन उपरांत विवाद समाधान समिति (Dispute Settlement Committee) का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष आयुक्त नगर निगम भोपाल होंगे। संस्था के प्रतिनिधि विवाद से संबंधित समस्त पहलुओं को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. यदि विवाद समाधान समिति (Dispute Settlement Committee) तीस (30) दिवस के भीतर मामले का निपटारा करने में असमर्थ रहती है तो संबंधित संस्था उक्त मामले को संचालनालय, नगरीय विकास एवं आवास, मध्यप्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस संबंध में संचालनालय, नगरीय विकास एवं आवास, मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. यद्यपि विवाद के समाधान/निर्णय के पश्चात देनदारियों को समायोजित किया जाएगा परंतु किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भी संस्था द्वारा निर्धारित लायसेंस शुल्क समयसीमा में जमा कराया जाना अनिवार्य है। अन्यथा नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा जिसके लिए संबंधित संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

भाग-X (विविध)

1. यदि किसी राष्ट्रीय या राजकीय महत्व का ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें शासकीयकार्य हेतु वाहन आदि व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से पार्किंग स्थल का प्रयोग किया जा सकता है। जिसकी लिखित/मौखिक/ईमेल/SMS/दूरभाष पर सूचना संबंधित विज्ञापन लगाए जाने से 01 दिवस पूर्व तक संस्था को दी जाएगी।
2. यदि सफल निविदाकर्ता भोपाल से बाहर क्षेत्र के हों तो उन्हें भोपाल नगर सीमा में अपना स्थानीय कार्यालय तथा एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जिससे समय-समय पर त्वरित रूप से संपर्क करके उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं प्रकरणों का समाधान किया जा सके। इस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की सूचना संस्था द्वारा अनुबंध दिनांक से15 दिवस के भीतर लिखित रूप में नगर निगम भोपाल को देना होगी।
3. संस्था को स्वयं का अधिकृत ईमेल पता प्रदान करना होगा, जिस पर सभी पत्र प्रेषित किए जाएंगे। यद्यपि नगर निगम भोपाल द्वारा सभी पत्र-व्यवहार संस्था के पंजीकृत पते पर डाक द्वारा प्रेषित करते हुए किए जाएंगे, परंतु डाक में विलंब के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के अवरोध या क्षति के लिए नगर निगम भोपाल जिम्मेदार नहीं होगा। संस्था को अपना ईमेल समय-समय पर जाँचना होगा तथा अधिकृत ईमेल पर भेजे गए सभी पत्र संस्था को प्राप्त हुए माने जाएंगे।
4. भाग –IV (ई-निविदा)) की कंडिका क्रमांक 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ ही सभी प्रकार की जानकारियाँ निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्रों (जो कि RFP में संलग्न हैं) में दी जाएँ –
    1. DECLARATION
    2. ANNEXE - A – ANNUALY MINIMUM AUTHORISATION FEE
    3. ANNEXE - B – PROPOSED PARKING SITES PACKAGES
    4. ANNEXE - C - COVERING LETTER
    5. ANNEXE - D — PROJECT UNDERTAKING
    6. ANNEXE - E - FORMAT FOR LETTER OF UNDERTAKING FOR TECHNICAL BID
    7. ANNEXE - F - FORMAT FOR LETTER OF APPLICATION
    8. ANNEXE - G - NO – BLACKLISTING DECLARATION
    9. ANNEXE - H - GENERAL INFORMATION
    10. ANNEXE - I - FORMAT FOR POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING APPLICATION/PROPOSAL
    11. ANNEXE - J - Format For Anti-Collusion Certificate
    12. ANNEXE - K – FORMAT FOR AFFIDAVIT

DECLARATION

I/WE declare that I/WE have read the above terms and conditions for ***"Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKING in Bhopal"*** and the rates quoted by me/us to which I/WE have subscribed my/our signatures. I/WE undertake to abide by the said terms and conditions and the rate quoted by me/us. I/We am/are major on the date of making this declaration.

Signature of the Tenderer

Name:

____

Address:

____

____

Dated:

____

ANNEXE - A – ANNUALY MINIMUM AUTHORISATION FEE

S No.	Parking ID	Amount
1	BMCSP043	RS. 94500

ANNEXE - B – PROPOSED PARKING SITES PACKAGES

Parking - BMCSP043				
S No.	Name of the location	Type	Vehicle Category	Vehicle Capacity
1	अलकापुरी मैट्रो स्टेशन	SURFACE PARKING	Two Wheelers	30
		SURFACE PARKING	Four Wheelers	00

Note:

- Total contract term is Three (3) years from the date of handing over and will start operation and maintenance of all parkinglots.
- The Bidder shall operate, maintain and manage the complete parking solution, throughout the Authorisation period in accordance with this RFPdocument.
- The manpower shall be quoted as per the number given in theRFP.

Dated: ....

ANNEXE - C - COVERING LETTER

[ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER]

To,
Commissioner

Municipal Corporation Bhopal (MCB)

2nd Floor, ISBT Head office, Ambedkar Marg, Habibganj, Bhopal – 462023

Subject: Submission of Bid for "of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKINGin Bhopal".

Respected Madam:

1. We are submitting this Bid (Proposal) on ourown.

2. Having visited the site and examined the RFP Documents, for the execution of the Authorisation Agreement for the captioned Project, we the undersigned offer to finance, construct, operate & maintain the whole of the said 'Project' for the Authorisation Period in conformity with theRFP.

3. This Bid and your written acceptance of it shall form part of the Project Agreements to be signed between the Authorisee and the Municipal Corporation Bhopal. If a Bidder is nominated as Preferred/Successful Bidder, we understand that it is on the basis of the technical, financial &organisational capabilities and experience of the Bidder taken together. We understand that the bases for our qualification will be the complete Bid documents submitted along with this letter, and that any circumstance affecting our continued eligibility as per RFP, or any circumstance which would lead or have lead to our disqualification, shall result in our disqualification under this Biddingprocess.

4. We agreethat

a) if we fail to meet the Minimum Development Obligations and/or Technical specifications and/or the Performance Standards according to the conditions/stipulations of the RFP/AuthorisationAgreement,

OR

b) If we fail to offer provide required facilities to Municipal Corporation Bhopal or its Authorised Representative for carrying out the inspection of works, operations and performance, then Municipal Corporation Bhopal or its representative shall be at liberty to take action in accordance with the RFP/ AuthorisationAgreement.

5. We undertake, if our Bid is accepted, we will complete the Project, commence operations and maintain the project facilities as per the RFP/AuthorisationAgreement.

6. We agree to abide by this Bid for a period of 180 (One Eighty) days from this bid submission Due Date fixed and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiry of that period.

7. IntheeventofourBidbeingaccepted,weagreetoenterintoaformalAuthorisationAgreementwith Municipal Corporation Bhopal as per the RFP.

8. If our Bid is accepted, we agree for thefollowing:

a) To submit the Advance Payment of Annual Authorisation Fee as pre-condition for signing of Authorisation Agreement as per theRFP.

9. We agree that if we fail to fulfil any of the conditions mentioned at above, Municipal Corporation Bhopal should have the right to forfeit the Bid Security being furnished by us along with thisBid.

10. Notwithstanding any qualifications of conditions, whether implied or otherwise, contained in our Proposal, we hereby represent and confirm that our Proposal is unqualified and unconditional in all respects' and we agree to the terms asunder.

a) Minimum Development Obligations as indicated in theRFP;
b) Development Controls of Municipal Corporation Bhopal or any other statutory authoritiesetc.
c) The Technical specifications, the performance standards etc. as stipulated in the RFP;
d) Any other regulation asapplicable.

11. We understand that Municipal Corporation Bhopal is not bound to accept any or all Bids it mayreceive.

12. We declare that we have disclosed all material information, facts and circumstances, which would be relevant to and have a bearing on the evaluation of our Bid and selection asAuthorisee.

13. We do, also, certify that all the statements made and/or any information provided in our proposal is trueand correct and complete in allaspects.

14. We declare that in the event that Municipal Corporation Bhopal discovers anything contrary to our above declarations, it is empowered to disqualify us and our Bid from further participation in the Bid evaluation process and forfeit our BidSecurity.

Dated this____________________day of________________________2025

____________________________ (Signature)

____________________________ (Name of theperson)

____________________________ (In thecapacity of)

(Name offirm)______________________________Company Seal ______________________________

ANNEXE - D — PROJECT UNDERTAKING

[ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER]

Date ----

Commissioner

Municipal Corporation Bhopal (MCB)

2nd Floor, ISBT Head office, Ambedkar Marg, Habibganj, Bhopal – 462023

Subject: Submission of Bid for *"Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKINGinBhopal"*.

We have read and understood the Request for Proposal (RFP) document in respect of the captioned project provided to us by Municipal Corporation Bhopal.

We hereby agree and undertake as under:

Notwithstanding any qualifications of conditions, whether implied or otherwise, contained in our Proposal, we hereby represent and confirm that our Proposal is unqualified and unconditional in all respects and we agree to the terms of the proposed Agreement, a draft of which also forms a part of the RFP document provided to us.

Dated this ....Day of.................................. 2025

Name of the Bidder

Signature of the Authorised Person

Name of the Authorised Person

ANNEXE - E - FORMAT FOR LETTER OF UNDERTAKING FOR TECHNICAL BID

[ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER]

Date:

Commissioner

Municipal Corporation Bhopal (MCB)

2nd Floor, ISBT Head office, Ambedkar Marg, Habibganj, Bhopal – 462023

Subject: Submission of Bid for "Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKING in Bhopal".

Respected Madam,

As a part of the Bid for **"Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKINGin Bhopal"** we hereby agree to develop and operate the Project as per the requirements stipulated in the RFP. We hereby undertake that if the Project is awarded to us, we will meet requirements as specified hereunder and hereby give our compliance for the same.

(a) Proof for EligibilityCriteria
(b) Statement of Legal Capacity (as per the format provided inRFP)
(c) Power of Attorney (of lead bidder in case of consortium - as per the format provided inRFP)
(d) Joint Bidding Agreement (in case ofConsortium)
(e) Project Approach and MethodologyPaper
(f) CV of Key Personnel (as per the format provided inRFP)
(g) Relevant past Experience as requested in the RFP Technical EvaluationCriteria
(h) Bill of Material (as per theRFP)

We hereby assure Municipal Corporation Bhopal and guarantee that in future, from time to time whenever we are required to undertake or follow any specific guideline/law, we shall do the needful as required as required to ensure that the project and the Authorisee comply with the legal requirements.

We hereby declare that all the information and statements made in this Proposal are true and accept that any misinterpretation contained in it may lead to our disqualification.

Yours faithfully,

____

(Signature of Authorised Signatory)

(Name, Title, Address, Date

ANNEXE - F - FORMAT FOR LETTER OF APPLICATION

(ON THE LETTERHEAD OF THE APPLICANT OR LEAD MEMBER IN CASE OF CONSORTIUM)

Date:

Commissioner

Municipal Corporation Bhopal (MCB)

2nd Floor, ISBT Head office, Ambedkar Marg, Habibganj, Bhopal – 462023

Respected Madam,

1. Beingduly authorized torepresentandactionbehalfof.. (Herein after "the Applicant"), and having reviewed and fully understood all the qualification information provided, the undersigned hereby apply to be qualified as a bidder for the Project of **"Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKING in Bhopal".**

2. Municipal Corporation Bhopal and its authorised representatives are hereby authorisedto conduct any inquiries or investigations to verify the statements, documents, and information submitted in connection with this application, and to seek clarification from our bankers and clients regarding any financial and technical aspects. This letter of Application will also serve as authorisation to any individual or authorised representative of any institution, to provide such information deemed necessary to verify statements and information provided in this application, or with regard to the resources, experience, and ourcompetence.

3. This Application is made in the full understandingthat:

a) Bids by Qualified Applicants (Bidders) will be subject to verification of all information submitted for qualification at the time ofbidding;

b) Municipal Corporation Bhopal reserves the right to reject or accept any Application, cancel the qualification process, and reject all Applications;and

c) Municipal Corporation Bhopal and its authorised representatives, consultants, advisors, etc., shall not be liable for any such actions and shall be under no obligation to inform the Applicant of the grounds forthem.

The undersigned declare that the statements made and the information provided in the duly completed Application are complete, true, and correct in every detail.

Authorised Signatory

Name:

Designation:

ANNEXE - G - NO – BLACKLISTING DECLARATION

[ON THE LETTERHEAD OF THE ORGANISATION]

As on date of submission of the proposal, the bidder should not have been blacklisted by any Government entity (Central or State Government or PSU) in India or is under a declaration of ineligibility for fraudulent or corrupt practices by any Government entity (Central or State Government or PSU) in India.

[On the letterhead of the organisation]

No – Blacklisting Declaration

Thisistocertifythat----------------------(Nameoftheorganisation),havingregisteredofficeat ---------------------- (Address of the registered office), as on date of submission of the proposal, have not been blacklisted by any Government entity (Central or State Government or PSU) in India or is under a declaration of ineligibility for fraudulent or corrupt practices by any Government entity (Central or State Government or PSU) in India.

Signature:

Name of the Authorised Signatory:

Designation:

** No conviction certificate should be duly signed by Authorised Signatory

Note: In case, information required by Municipal Corporation Bhopal is not provided by the bidder in the forms/formats provided above, Municipal Corporation Bhopal shall proceed with the evaluation based on information provided and may not request the bidder for further information. Hence, responsibility for providing information as required in the above forms lies solely with thebidders.

ANNEXE - H - GENERAL INFORMATION

All firms applying for Expression of Interest are requested to complete the information in this form. Information to be provided for all owners or application that are partnership or individually owned firms.

Sr. No	Description	Details
1	Name of firm	
2	Head office address	
3	Contact No:	
4	Mobile No:	
5	Fax No:	
6	Email id:	
7	Place of incorporation	
8	Year of incorporation	
9	Registration Number	

STRUCTURE AND ORGANIZATION

1. The applicantis: ___________________________________

a) an individual

b) a proprietorfirm

c) a firmpartnership

d) Limited Company orCorporation.

2. Attach the organisation Chart showing the structure of the Organisation, including the Names of the Directors and Position ofoffers.

3. Annual TurnOver

Year	Annual Turn Over in Rs. As per Balance Sheet or Income tax Clearance Returns
1. ……………………	Rs.
2. …………………….	Rs.
3. ……………………	Rs.
Total	

NOTE: The above data is to be supported by audited balance sheets / ITR's.

ANNEXE - I - FORMAT FOR POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING APPLICATION/PROPOSAL

(ON A NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS. 500 DULY ATTESTED BY NOTARY PUBLIC)

POWER OF ATTORNEY

Know all men by thesepresents,we______________(name and address of theregistered office)doherebyconstitute,appointand authorize Mr./Ms.__________________________(name andaddressofresidence)whoispresentlyemployedwithusandholdingthepositionof __________________as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our Application/Proposal for the**Selection of Service Provider for Design, Development, Implementation, Operation and Maintenance of Parking Solution for MULTI LEVEL PARKINGin Bhopal**, including signing and submission of all documents and providing information/ responses to Municipal Corporation Bhopal, representing us in all matters before Government of Madhya Pradesh, and generally dealing with Municipal Corporation Bhopal in all matters in connection with our proposal for the saidProject.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Executant Signature

(Name, Title andAddress)

IAccept

Attorney Signature

(Name, Title and Address of the Attorney)

Attested

Executant

Notes:

1. To be executed by the sole Applicant.

2. The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure, if any, laid down by the applicable law and the charter documents of the executant (s) and when it is so required the same should be submitted under common seal affixed in accordance with the required procedure.

3. Also, the executant(s) should submit for verification, the extract of the charter documents and documents such as a resolution / power of attorney in favour of the Person executing this Power of Attorney for the delegation of power hereunder on behalf of theApplicant.

ANNEXE - J - Format For Anti-Collusion Certificate

[ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER]

We hereby certify and confirm that in the preparation and submission of this Application, we have not acted in concert or in collusion with any other Applicant or other person(s) and also not done any act, deed or thing which is or could be regarded as anti-competitive, restrictive or monopolistic tradepractice.

We further confirm that we have not offered nor will offer any illegal gratification in cash or kind to any person or agency in connection with the instant Application.

Dated this_______________Day of__________________,2025

Name of the Applicant

____

Signature of the Authorised Person

____

Name of the Authorised Person

ANNEXE - K – FORMAT FOR AFFIDAVIT

(AFFIDAVIT SHOULD BE EXECUTED ON A NON JUDICIAL STAMP PAPER OF RS. 100/- OR SUCH EQUIVALENT DOCUMENT DULY ATTESTED BY NOTARY PUBLIC)

A.I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the Application are true and correct.

B.T h e u n d e r s i g n e d a l s o h e r e b y c e r t i fi e s t h a t n e i t h e r o u r fi r m M / s...nor any of its directors / constituent partners have abandoned any work in Bhopal or in Madhya Pradesh nor any contract awarded to us for such works have been terminated for reasons attributed to us, during last five years prior to the date of this Application nor have been blacklisted or barred by Municipal Corporation Bhopal from participating in any projects of BOT or otherwise or have never defaulted any tax and duties of Municipal Corporation Bhopal.

C.The undersigned also hereby certifies that neither our firm M/ s. nor any of its directors / constituent partners haveabandoned
any work in India and / abroad nor any contract awarded to us for such works have been terminated for reasons attributed to us, during last five years prior to the date of this Application nor have been barred by any agency of GOI or Govt. of Madhya Pradesh from participating in any projects of BOT orotherwise.

D.The undersigned hereby authorise(s) and request(s) any bank, person, firm or corporation to furnish pertinent information deemed necessary as requested by Municipal Corporation Bhopal to verify this statement or regarding my (our) competence and general reputation

E.The undersigned understands and agrees that further qualifying information may be requested, and agrees to furnish any such information at the request of the Municipal Corporation Bhopal.

Signed by an authorised officer of the firm

Designation of officer

Name of Firm

Date

Signature Not Verified

Digitally signed by PARITOSH RANJAN PARSAI
Date: 2026.04.09 15:06:48 IST
Location: Madhya Pradesh-MP